## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2315/14–1,(25152/2017)दिनांक, अमरोहा,मार्च, 15, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबद।

विषय :– अमरोहा–कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र सं0 8 बी/09/42/2017/एफ0सी0/851, दिनांक 07.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0लखनऊ का पत्र संख्या 2607/अमरोहा/25152/2017, दिनांक 09.03.2018

महोदय

उपरोक्त विषयक अमरोहा–कॉठ मार्ग (M.D.R-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति बावत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आप द्वारा बिन्दुवार की गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए निम्नवत् बिन्दुवार आख्या/अभिलेख आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है :–

| Observation No. | Observation of GOI | Reply/Modification |
|---|---|---|
| 1. | 1- The reply of queries raised vide this office letter dt. 21-07-2017, in Sr. No. 8 where chainage wise reqirement of width and balance PF has not been provided. | ,चेंनेज वाईज अवशेष संरक्षित वनभूमि का विवरण एवं तत्संबंधी मैप प्रस्ताव के पेज संख्या 79 से 81 तक संलग्न है। |
| 2. | 2. The proposal involves violation of 0.5 ha. reported by the concered DFO. This issue requires submission of self contained note from State Government for initiation of action under 3B of FCA 1980. | इस बिन्दु के कम में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अवगत कराना है, कि दिनांक 11.06.2015 को इस परियोजना के प्रयोक्ता अभिकरण सी0एण्डडी0एस0, यूनिट,–18, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद के मौ0 फुरकान, सोनू, इमरान खां, श्री एस.एम. सिद्दीकी परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0 व श्री ए0के0सिसौदिया अभियन्ता के विरूद्व बिना अनुमति के अमरोहा–कांठ रोड की संरक्षित वन पट्टी पर नाला निर्माण हेतु खुदाई किये जाने के वन अपराध के कम में भा0वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के तहत वन अपराध संख्या 3/2015–16 जारी किया गया था। उक्त कम में अभियुक्तगणों की ओर से विभागीय फैसला चाहने का अनुरोध किये जाने पर उनसे बतौर मुआवजा रू0 1.00 लाख ( रू0 एक लाख मात्र) ई–3 सं0 331/14 दिनांक 31.07.2015 से वसूल कर लिया गया था। उक्त से स्पष्ट है, कि प्रकरण में विधिक कार्यवाही की गई है। उक्त प्रकरण में गैर वानिकी कार्य में प्रभावित होने वाली वनभूमि के कम में विहित प्रकिया के तहत क्षतिपूरक वनीकरण |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रस्तावित किये जाने के साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण पर 3.40 है0 दण्डात्मक वृक्षारोपण भी प्रस्तावित किया गया है।<br><br>अतः इस बिन्दु के कम में इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें। |

भवदीय

( रमेश चन्द्र )
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18 सी0एण्ड0डी0एस0 उत्तर प्रदेश जलनिगम मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( रमेश चन्द्र )
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।